**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर** 3

**समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,**
**सदस्य**

निगरानी प्रकरण कमांक 1634—दो/13 विरूद्ध आदेश, दिनाक 18—1—2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, सागर के राजस्व प्रकरण कमांक 43/अ—6(अ)/12—13

1 अनिल अग्रवाल आयु 51 वर्ष तनय स्व0 श्री मदनलाल अग्रवाल
सहायक प्रबंधक, म0 प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना कियान्वयन इकाई, छतरपुर
निवासी चौबे कॉलोनी, छतरपुर म0 प्र0
2 राजेश सोनी आयु 38 वर्ष तनय श्री रामगोपाल सोनी,
प्रोप्राईटर राखी ज्वेलर्स, पद्माकरनगर थाना के बाजू से,
मकरोनिया, तहसील व जिला सागर
3 श्रीमती रानीबाला वर्मा, आयु 60 वर्ष पत्नी श्री एस0 सी0 वर्मा,
द्वारा पावर ऑफ एटार्नी होल्डर श्री जितेन्द्र चांचोदिया,
निवासी फर्म बी0एस0 जैन के सामने, चमेली चौक,
तहसील व जिला सागर

.....आवेदकगण

**विरूद्ध**

1 मुकुल सिंह, आयु 43 वर्ष, तनय प्रहलाद सिंह घोषी
निवासी बिजौलिया फार्म, ग्राम बम्होरी रेगुंवा,
तहसील व जिला सागर
2 म0 प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर सागर

.....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1634–दो/13 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, सागर के प्रकरण कमांक 43/अ–6 (अ)/12–13 में पारित आदेश दिनांक 18–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । अनावेदक द्वारा आवेदन पेश किया कि उसकी ग्राम बम्होरी रेंगुवा में स्थित भूमि खसरा नंबर 115, 455, 456, 460, 463 रकबा कमशः 0.40, 0.12, 0.08, 0.83, 3.89 कुल रकबा 5.32 है, बनाया गया है । बंदोबस्त पूर्व खसरा नंबर 39/3, 213/1, 215/1, 215/2ग, 215/2घ, 216, 221/2, 223/1, 223/3 223/4 रकबा कमशः 0.405, 0.462, 2.890, 0.024, 0.841, 0.040, 0. 288, 0.284, 0.288 कुल 5.546 है था जिसमें 0.23 हैक्टेयर की कमी हुई है । तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 11–7–12 से यह निष्कर्ष निकाला कि रकबे में 0.03 हैक्टेयर रकबा कम हुआ है जिसे सुधार करने की अनुशंसा की गई । अनुविभागीय अधिकारी, सागर द्वारा दिनांक 19–10–12 को तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए दुरूस्ती हेतु भेजा गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 43/अ–6–अ/12–13 में आदेश दिनांक 18–1–13 द्वारा तहसीलदार सागर द्वारा प्रस्तावित नक्शा प्रदर्शपी–2 दिनांक 3–10–12 अनुसार नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये गये । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

4/ प्रकरण में दिनांक 22–9–15 को अनावेदक अधिवक्ता ने एक प्रारंभिक आपत्ती इस बाबत पेश की थी, कि अपर कलेक्टर का नक्शा सुधार हेतु आक्षेपित आदेश एक मूल आदेश है और अन्तिम आदेश है, ना कि अन्तरिम । उक्त आदेश की अपर आयुक्त के समक्ष अपील होनी चाहिए थी, और इस कारण से राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । दिनांक 22–9–15 को उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित थे, और उसी दिन अगली पेशी 23–12–15 हेतु तय हुई थी ।

दिनांक 23–12–15 की पेशी में आवेदक पक्ष से पुकार के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ, ना ही किसी ने उक्त आपत्ति का कोई उत्तर ही उपलब्ध कराया,

जबकि आवेदक पक्ष ने दिनांक 22–9–15 को ही दिनांक 23–12–15 की पेशी नोट कर ली थी ।

5/ मैं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आपत्ती में उठाए गए इस तर्क से सहमत हूँ कि अपर कलेक्टर का नक्शा सुधार हेतु आक्षेपित आदेश एक मूल आदेश है और अन्तिम आदेश है, ना कि अन्तरिम । उक्त आदेश की अपर आयुक्त के समक्ष अपील होनी चाहिए थी, और इस कारण से राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । अतः मैं यह निगरानी इसी प्रकम पर खारिज करते हुए प्रकरण समाप्त करता हूँ ।

आदेश पारित ।
पक्षकारगण सूचित हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

2.3.16

**(आशीष श्रीवास्तव)**
**सदस्य**
**राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश**
**ग्वालियर**